न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
अकबर पुत्र अलफुजी जाति मुसलमान निवासी जोगापुरा तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	1.हकीम पुत्र रमजु जाति मौसला 2.नूर मो0 पुत्र रमजु जाति मुसलमान 3.मोहम्मद पुत्र अलफु जाति मुसलमान 4.अब्दुल पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार 5.अब्बास पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार 6.सलमान पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान कुम्हार 7.आईदा पुत्री सुल्तान जाति मुसलमान 8.जुबैदा पुत्री सुल्तान जाति मुसलमान 9.रोशन पत्नी सुल्तान जाति मुसलमान कुम्हार सर्व निवासीयान जोगापुरा तह. शिवगंज 10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 28/2014

–:निर्णय:– दिनाक 19.08.2025

माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 11.03.2025 के द्वारा पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है जिस पर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दोनों पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये परन्तु प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के नोटिस तामील होने व उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 05.08.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री कमांक 5492 दिनांक 14.02.2018 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पंत्राक/राजस्व/2018/761 दिनाक 28.03.2018 से **वादग्रस्त भूमि मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 141, 142/1 रकबा कमशः 0.11 ,103.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 104.01 बीधा** भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जा चुका है जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिकी किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा **पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा।** पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिकी पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनाक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

कमांक/कोर्ट/2025/ 479 दिनांक 19.08.2025
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
अकबर पुत्र अलफुजी जाति मुसलमान निवासी जोगापुरा तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	1.हकीम पुत्र रमजु जाति मौराला 2.नूर मो0 पुत्र रमजु जाति मुसलमान 3.मोहम्मद पुत्र अलफु जाति मुसलमान 4.अब्दुल पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार 5.अब्बास पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार 6.सलमान पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान कुम्हार 7.आईदा पुत्री सुल्तान जाति मुसलमान 8.जुबैदा पुत्री सुल्तान जाति मुसलमान 9.रोशन पत्नी सुल्तान जाति मुसलमान कुम्हार सर्व निवासीयान जोगापुरा तह. शिवगंज 10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0– 28/2014

दिनाक 19.08.2025

वादी अधिवक्ता उपस्थित। **वादग्रस्त भूमि मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 141, 142/1 रकबा कमशः 0.11 ,103.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 104.01 बीघा** भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिकी किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी **वादग्रस्त भूमि मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 141, 142/1 रकबा कमशः 0.11 ,103.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 104.01 बीघा** भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बटंवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनाक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	–ःशून्यः–

कमांक/कोर्ट/2025/480

दिनांक 19.08.2025

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)